(247)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०

निगरानी प्रक०क्र०/ /17

[Court fee stamps: 20 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES; 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES; 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES]

R 5013-II/17

श्रीमती मिलापू सिंह पत्नी स्व० श्री कुंवर बहादुर सिंह उम्र- वर्ष निवासी ग्रामतिघरा, तहसील उचेहरा जिला सतना, म०प्र०.

---- आवेदिका

बनाम

शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष सतना, म०प्र०. ---- अनावेदक

अधि० श्री मनीष मिश्रा, द्वारा प्रस्तुत 12-1-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा, तह० उचेहरा जिला सतना के प्रकरण क्र० 39-ए-12/13-14 में पारितआदेश दिनांक - 30.07.014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

(01) यह कि आराजी खसरा क्र० 35/1-क/1 रकवा 0.006है०, 36/1/1 रकवा 0.012है०, 39/1/1रकवा 0.006है०, 46/1-क/1 रकवा 0.005है०, स्थित ग्राम तिघरा, तह० उचेहरा जिला सतना म०प्र० की आवेदिका स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है ।

(02) यहकि राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.07.014 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(03) यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा के द्वारा प्रश्नाधीन

निरंतर....

मिलापू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.5013–II**/17 जिला–सतना

श्रीमती मिलापू/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	